



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशारोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल :- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 069 /E/परीक्षा-गोपनीय/2026

रायगढ़, दिनांक 04/05/2026

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय  
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- सत्र 2025-26 सम सेमेस्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों कि प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 08/05/2026 से 18/05/2026 तक महाविद्यालय में आयोजित कराके प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांक निर्धारित तिथि के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को प्रदान किये गये ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्ट कराना सुनिश्चित करें एवं पर्ण/प्रतिपर्ण की अधोहस्ताक्षरित हार्डकॉपी दिनांक 19/05/2026 तक अनिवार्यतः विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में जमा कराएं।

प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करने हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों की सूची महाविद्यालय को दिनांक 07/05/2026 तक ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी एवं आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2157/E/परीक्षा-गोपनीय/2024 रायगढ़, दिनांक 02/12/2024 के अनुसार की जा सकेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 070 /E/परीक्षा-गोपनीय/2026

रायगढ़, दिनांक 04/05/2026

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कक्ष प्रभारी परीक्षा-गोपनीय को सूचनार्थ।
4. कार्यालयप्रति।

  
प्रभारी अधिकारी (गोपनीय)



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़छमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल :- [registrarsapv@gmail.com](mailto:registrarsapv@gmail.com), वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2157/E/परीक्षा-गोपनीय/2024

रायगढ़, दिनांक 02/12/2024

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
जौंजगीर-चौपा, सक्ती एवं रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय:- प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय से समस्त संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें निम्नानुसार आंतरिक परीक्षक नियुक्ति किये जा सकेंगे:-

01. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, का पत्र क्रमांक-एफ 3-54/स्था./2020/38-1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024 के द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 के कंडिका/बिन्दु क्रमांक 12 के अनुसार महाविद्यालय के प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति उल्लेखित निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
02. शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत संबंधित विषय के नियमित एवं अशासकीय महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत शिक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उस विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक नियुक्ति किये जा सकेंगे।
03. किसी महाविद्यालय में उक्त संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक नहीं होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा समीपस्थ स्थित अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक को संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु आंतरिक परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 02/12/2024

क्रमांक 2158/E/परीक्षा-गोपनीय/2024

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति जी के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय को सूचनार्थ।
03. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
04. कक्ष प्रभारी, परीक्षा/गोपनीय को सूचनार्थ।

  
प्रभारी अधिकारी (गोपनीय)

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर,

24th JUN 2024

क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1.  
प्रति

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

आयुक्त,

उच्च शिक्षा संचालकालय,

इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़.

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने संबंधित।

राज्य शासन द्वारा प्रतिष्ठित व्याख्याता नीति-2024 को मंत्रिपरिषद के संमति प्रस्तुत कर उक्त नीति पर दिनांक 19 जून 2024 (आइटम क्रमांक 10.06) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उक्त अतिथि व्याख्याता नीति-2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

2. निदेशानुसार उक्त नीति में दी गई व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(पृ. 01 से 19 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार.

(कीर्तिवर्धन सपाध्याय)

अवर सचिव

छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग

पू.क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1.

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज्यभवन रायपुर (छ.ग.)
3. महासचिव, रायपुर, कार्यालय रायपुर, (छ.ग.)
4. संचालक, कौशल लेखा एवं पेशान, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
5. विशेष सहायक, मा. मंत्री उच्च शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
6. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर
7. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग (न्यायालयीन शाखा) मंत्रालय
7. तमस्त क्षेत्रीय अवर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग (छ.ग.)
8. तमस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय (छ.ग.)
9. तमस्त शिक्षा विकासालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
10. वेब साईट में अपलोड हेतु
- की और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अद्विष्ट फाइलर.

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

## 11. अवकाश सुविधा:-

- 11.1 पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क/शोध-ग्रंथ कार्य पूर्ण करने के आवेदन पर अधिकतम 180 दिवस का अवैतनिक पी-एच.डी. अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- 11.2 प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अधिकतम 180 दिवस के लिये दिये जायेंगे। प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्था प्रमुख द्वारा उक्त अवधि का अवैतनिक प्रसूति अवकाश (अतिथि) स्वीकृत किया जायेगा।
- 11.3 अधिकतम 180 दिवस से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को पुनः उसी महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी किन्तु नया विज्ञापन प्रकाशित होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन की पात्रता होगी।
- 11.4 उक्त अवधि के दौरान अध्ययन-अध्यापन के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतीक्षा सूची से अन्य वैकल्पिक व्याख्याताओं की व्यवस्था इस शर्त पर की जायेगी कि अवकाश में गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश उपरान्त वापस कार्यभार ग्रहण करने पर वैकल्पिक व्याख्याता को उनके कार्य से स्वतः कार्यमुक्त माना जायेगा।
- 11.5 वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में मानदेय एवं 01 शिक्षा सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करवाने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी किन्तु विस्थापित श्रेणी की पात्रता नहीं होगी। अवकाश पर प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा अधिकतम 180 दिवस अवकाश का उपभोग के पश्चात् निर्धारित तिथि पर कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा यदि वैकल्पिक व्याख्याता से आगे भी अध्यापन कार्य निरंतर रखा जाता है तब ऐसे वैकल्पिक व्याख्याताओं को विस्थापित श्रेणी की भी पात्रता होगी।
- 11.6 वैकल्पिक व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) देना होगा।
- 11.7 पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश लेने वाले अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य को उक्त अवधि के अनुभव का लाभ प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

## 12. विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी :-

श्रेणी-1, 2 एवं 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता जिन्हें 03 शैक्षणिक सत्र (न्यूनतम 15 माह) का अध्यापन अनुभव है, वे राज्य के विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य संपादन कर सकते हैं। जिसका भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु प्रचलित नियमानुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।